

कार्यालय,
सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

संखनक दिनांक 14-8-2020

--कार्यालय ज्ञाप--

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालेज/ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

तकनीकी अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्दे-6 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सम्बद्धता कराने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मदन-विहार डिप्लोमा पर निम्नवत् निर्णय लिया गया।

"सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्गत पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संशोधित संस्था की परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	जी हीरानंद कॉलेज ऑफ फार्मसी बेबर मीरजा, हमीरपुर	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, रोमस्टर गैजेटिंगवली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इयेंड पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150/00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000/00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500/00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रवेश क्षमता/भाडा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर दस्तावेज द्वारा निर्मित किये जाने वाले कालान्तर प्रमवी होयें और तदनुसार कार्यवाही

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3037-SHREE HEERANAND PHARMACY COLLEGE			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022- 23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत, विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

कार्यालय

अधिका. अधिका. शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या: अधिका.परिषद सम्बद्ध/2023/12090001

संख्या: दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय सार:

अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद एवं परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित किम्बोला सरतीय लक्ष्योकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत अधिका. शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सत्र: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्ध समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद/परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्ध समिति द्वारा विचाराधीन के अनुमोदन में संस्थाओं को सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को अधिका. शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदपूर्वक एवं उसमें अंकित प्रवेश सामग्री हेतु सम्बद्ध विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता: 3037-SHREE HEERANAND PHARMACY COLLEGE

क्र.सं.	पदपूर्वक का नाम	सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश सामग्री	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश सामग्री
1	DIPLOMA IN PHARMACY	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ अधिका. शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 311/16-3099/2022 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्था संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध सम्बन्धी न्यायालय में संघटित रिट अधिका. संख्या 5027/2023 में सम्बन्धी न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निरस्त की जाती है।
- ✓ संस्था अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद/परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद/परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम संख्या में संस्था संस्था (शुद्धि, आसन, बैंक अकाउंट) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अधिका. शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा अधिका. शिक्षा परिषद विनियमन-1982, विनियमन-2000, केंद्रगत विनियमन-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिका. संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश बनायीं होंगे, और तत्पश्चात् कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। कक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु कक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कक्षा की संशोधन देर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधि-निष्पत्ती/अधिका. शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, अधिका. शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० अधिका. शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा किये गये निर्णयों, निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद/परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन विस्तार किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अधिका. शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अधिका. शिक्षा निर्देशक एवं अधिका. शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई भी दावा किया जाता है तथा दावा सत्र के संबंध में स. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा/निर्णय प्राप्त होने के पूर्व अधिका. भारतीय लक्ष्योकी शिक्षा परिषद/परीक्षी बोर्ड/मिशन ओक इडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्मित संशोधन आदेशों निर्णयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने केंद्रगत तथा अधिका. शिक्षा के पुनर्निर्धारण पर संस्था की संस्था द्वारा जैसे संस्था की वित्तीय स्थिति शुद्धि, शतक, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विचार उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यालय/विद्यालय हेतु उपयुक्त कार्यालय उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्था के सम्बन्ध में संस्था उत्तरदायी संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्श/संघटित पदपूर्वक को प्राप्त करने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, शुद्धि-आसन, कक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदपूर्वक के संस्था में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी तो कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश अधिका. शिक्षा (समिति) और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्धता किया जाना विनियमन-2000 के अधिका. अनुसूचित परिषद की शर्त पर अपने कक्षा/निर्णय, आसन और कक्षाओं को परिषद को परीक्षा के सम्बन्ध में परिषद के अधिका. में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिका. संस्था निर्देशक के द्वारा यदि संस्था में शुद्धि, आसन, कक्षा/आसन, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र ए० प्र० संस्था/निर्णय/परिषद के संस्था/निर्णय उपलब्ध नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने प्रवेश शर्तों का उपलब्ध किये जाने की शर्तों में निर्दिष्ट अनुसूचित संस्था/निर्णय कार्यवाही की जायेगी।

1